

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 106 / 2012
संस्थान दिनांक 02.04.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

सुनिल पिता ठाकुर बंजारा, आयु 25 वर्ष
निवासी-ग्राम बड़गौव, थाना राजपुर,
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 25.03.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 79/2012 अंतर्गत 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 02.04.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 21.03.2012 को समय रात्रि 8:00 बजे, बिलवा व राजीव गौंधी नगर के मध्य फूलसिंग के खेत के सामने रोड़ पर वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर भेरूलाल की ऐसी मृत्यु कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है, के संबंध में धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण में अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने मृतक भेरूलाल का शव परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकार किया गया जिस पर प्रदर्शपी 11 अंकित किया गया।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी कैलाश के पिता भेरूलाल इंदिरा सागर परियोजना प्लांट पर राजीव गौंधी नगर के पास चौकीदारी करते थे। दिनांक 21.03.2012 को शाम 7:00 बजे भेरूलाल एवं बाबूलाल दोनों साईकिल से तलवाड़ा बुजुर्ग से प्लांग पर काम के लिए जा रहे थे, फरियादी कैलाश घर पर था कि फरियादी कैलाश के पास

लगभग 8:15 बजे उत्तम टेलर का फोन आया कि उसके पिता भेरूलाल की दुर्घटना बिलवा के आगे हो गई है सूचना पर फरियादी तथा गाँव के अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर गये जहाँ बिलवा के आगे राजपुर रोड़ पर उसके पिता भेरूलाल मृत अवस्था में पड़े हुए थे तभी बाबुलाल ने बताया कि साईकिल से प्लांट पर जा रहे थे कि राजीव गाँधी नगर की ओर से ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 का चालक ट्रेक्टर को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और भेरूलाल को सामने से टक्कर मार दी जिससे वह रोड़ पर गिर गया तथा सिर, सीने, पैर व कमर में चोटें आई थी जिससे भेरूलाल की मृत्यु हो गई थी। ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने फरियादी कैलाश द्वारा दी गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/2012 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 5 लेखबद्ध की तथा पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण नहीं किया गया तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.03.2012 को समय रात्रि 8:00 बजे, बिलवा व राजीव गाँधी नगर के मध्य फूलसिंग के खेत के सामने रोड़ पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर भेरूलाल की ऐसी मृत्यु कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है,

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी कैलाश (अ.सा.1), राजेश (अ.सा.2), विजय परमार (अ.सा.3), उत्तम (अ.सा.4), बाबुलाल (अ.सा.5), पण्डु (अ.सा.6) एवं दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजेश अ.सा. 1 का कथन है कि वह मृतक भेरूलाल को जानता है। घटना 4 वर्ष पूर्व रात्रि लगभग 8 बजे की है। घटना के समय वह अपनी मोटरसाईकिल से राजपुर से अंजड़ की ओर आ रहा था। राजीव नगर एवं बिलवा रोड़ के मध्य अभियुक्त ने भेरूलाल के ऊपर टेक्टर चढ़ा दिया था। अभियुक्त टेक्टर को बंद लाईट में लेकर आ रहा था। दुर्घटना में भेरूलाल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। वह भेरूलाल के पुत्र कैलाश के साथ थाना अंजड़ आया था। पुलिस ने मृतक भेरूलाल के शव का पंचनामा बनाने हेतु प्रदर्शपी 1 का सफीना फार्म जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 2 एवं नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 3 का भी बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटनास्थल पर 20 सेकण्ड के बाद पहुँच गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी क्योंकि टेक्टर 100 फीट दूर चला गया था। घटना रात्रि के समय की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने घटना कारित करने वाले टेक्टर के चालक को नहीं देखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय घटनास्थल पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के अलावा कोई नहीं था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल के आसपास अंधेरा था और पुलिस ने उसके कोई कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जहाँ पर दुर्घटना हुई वह आम रोड़ है तथा वहाँ से अन्य वाहनों के साथ टेक्टरों का भी आना-जाना लगा रहता है लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय अन्य कोई टेक्टर वाहन वहाँ से नहीं निकला था। साक्षी ने स्वीकार किया कि पंचनामों पर हस्ताक्षर के अतिरिक्त उसका थाने पर जाने का कोई काम नहीं पड़ा था और पुलिस ने उससे घटनास्थल पर पंचनामों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे।

8. विजय परमार अ.सा. 2 ने भी मृतक भेरूलाल की साईकिल की टेक्टर के चालक से दुर्घटना होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसके पहुँचने के पहले दुर्घटना हुई थी। साईकिल के चालक भेरूलाल को टेक्टर के चालक ने टक्कर मार दी थी। उसने दुर्घटना स्थल पर वाहन चालक को नहीं देखा था। साक्षी ने सफीना फार्म प्रदर्शपी 1, नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 2 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। साक्षी ने लाल रंग के टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 को उसके सामने प्रदर्शपी 4 के पंचनामों अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं।

9. उत्तम अ.सा. 4 ने 3 वर्ष पूर्व भेरूलाल की दुर्घटना की सूचना फोन पर प्राप्त होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि बाबुलाल ने बताया था कि भेरूलाल के पुत्र कैलाश को घर पर सूचना कर दो तो उसने कैलाश को दुर्घटना की सूचना दी थी और वे लोग घटनास्थल गये थे।

10. बाबुलाल अ.सा. 5 ने भी 3 वर्ष पूर्व रात्रि 8 बजे बिलवा घाटी में स्वयं तथा भेरूलाल को साईकिल से तलवाड़ा बुजुर्ग जाने के दौरान टेक्टर चालक द्वारा भेरूलाल की साईकिल को टक्कर मारने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि टेक्टर के आगे कोई लाईट नहीं जल रही थी। टेक्टर चालक टेक्टर को बंद लाईट के चला रहा था। टेक्टर चालक टेक्टर को छोड़कर भाग गया था। उसने दुर्घटना की सूचना उत्तम को दी थी। इस साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने दुर्घटना के पश्चात् टेक्टर के चालक को देखा था। टेक्टर के चालक ने भेरूलाल की साईकिल को टेक्टर को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर भेरूलाल को टक्कर मारी थी। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 5 के कथन में टेक्टर का क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 बताने से भी स्पष्ट इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि रात्रि का समय था इस कारण वह नहीं बता सकता है कि भेरूलाल की साईकिल को टक्कर किस वाहन ने मारी थी।

11. कैलाश पाटीदार असा 3 का कथन है कि दिनांक 31.03.212 को वह अपने घर पर था, उसके पिताजी बाबुलाल के साथ चौकीदारी करने जाते थे। बाबुलाल ने घटनास्थल से उत्तम को फोन किया तब उत्तम उसे दुर्घटना की सूचना देने आया था और तब वह दुर्घटनास्थल पर गया था तब दुर्घटनास्थल पर उसके पिताजी मृत अवस्था में पड़े थे। दुर्घटना कारित करने वाला टेक्टर भी खड़ा था। उसने थाना अंजड़ पर दुर्घटना की रिपोर्ट प्रदर्शपी 5 की लेखबद्ध कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने दुर्घटना कारित करने वाले टेक्टर का क्रमांक पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय बता दिया था। उसे बाबुलाल ने यह बताया था कि दुर्घटना कारित करने वाले टेक्टर की हेड लाईट बंद थी, इस कारण से दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 6 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर और सफीना फार्म प्रदर्शपी 1, नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 2 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर तथा नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 3 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि बाबुलाल ने उसे बताया था कि टेक्टर का चालक टेक्टर को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर ला रहा था। उसने पुलिस को प्रदर्शपी 5 में टेक्टर का क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 भी बताया था तथा प्रदर्शपी 7 के कथन में भी बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय वह घर पर था उसने घटना नहीं देखी थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 2, 5 व 6 के पंचनामों पर थाने पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि टेक्टर का क्रमांक उसे बाबुलाल ने बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि साईकिल पर लाईट नहीं होती है और घटनास्थल पर अंधेरा था।

12. पण्डु अ.सा. 6 ने दिनांक 29.03.2012 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 79/2012 में जप्त टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर और उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं आने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. दुलीचंद पाटीदार अ.सा. 7 ने दिनांक 21.03.2012 को फरियादी कैलाश की रिपोर्ट के आधार पर प्रदर्शपी 5 का अपराध दर्ज करने और उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने भेरूलाल की मृत्यु के संबंध में मार्ग क्रमांक 16/12 प्रदर्शपी 9 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण की विवेचना के दौरान मृतक भेरूलाल के संबंध में सफीना फार्म प्रदर्शपी 1, नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 2, सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई ने बताया था जिसके डी से डी भाग पर सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई के हस्ताक्षर हैं। साईकिल का नुकसानी पंचनामा और टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 का जप्ती पंचनामा प्रदर्शपी 4 आर.एस. मण्डलोई द्वारा बनाने, साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने, वाहन के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त करने तथा अभियुक्त को गिरफ्तार सहायक उपनिरीक्षक आर.एस. मण्डलोई द्वारा करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि मार्ग जाँच में एवं प्रदर्शपी 5 की सूचना रिपोर्ट में फरियादी ने वाहन चालक का नाम नहीं लिखाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्शपी 5 की रिपोर्ट में टेक्टर क्रमांक लिखने पर कांट-छाट की गई है अथवा उसने असत्य रिपोर्ट फरियादी के कहने पर दर्ज की है या वह असत्य कथन कर रहा है।

14. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 को चलाकर मृतक भेरूलाल की साईकिल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं तथा अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह प्रमाणित हो कि घटना दिनांक, स्थान व समय पर उक्त टेक्टर को टेक्टर चालक द्वारा चलाया जा रहा था। प्रकरण की रिपोर्ट लिखाने वाले फरियादी कैलाश पाटीदार ने साक्षी बाबुलाल द्वारा उक्त टेक्टर के चालक ने लापरवाहीपूर्वक टेक्टर चलाकर भेरूलाल को टक्कर मारना उक्त

साक्षी को बताया है लेकिन घटना के चश्मदीद साक्षी बाबुलाल अ.सा. 5 ने उक्त बिन्दु पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना दिनांक, स्थान व समय पर टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 0646 को लोक मार्ग पर उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर भेरूलाल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो मानव वध की कोटि में नहीं आता है।

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त सुनिल के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त सुनिल को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304-ए भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए 0646 दिनांक 02.04.2012 को उसके पंजीकृत स्वामी केश्या पिता लाला बंजारा, निवासी-ग्राम बड़गाँव, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगी पर दिया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी